

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(ए-120) अलेसे-I/353

दिनांक:- 07/06/2017

कार्यालय आदेश

विभागीय सेवानिवृत्ति आदेश क्रमांक 867 दिनांक 01.12.2016 के क्रम संख्या 37 पर अंकित नाम श्री अंगदराम मीणा, निलम्बित सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-I (लिनक नं. 3303) के विरुद्ध कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

श्री मीणा को विभागीय आदेश संख्या 135/2016-17 दिनांक 23.12.2016 के द्वारा अभियोग संख्या 308/2014 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी आई.पी.सी. के अन्तर्गत दिनांक 24.07.2014 को पंजीबद्ध होने व दिनांक 19.12.2016 को गिरफ्तार किये जाने के परिणामस्वरूप निलम्बित किया गया था।

वर्तमान में श्री मीणा के विरुद्ध उपरोक्त फौजदारी प्रकरण विचाराधीन होने के कारण पूर्व में जारी उपरोक्त सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक 01.12.2016 में श्री मीणा के विरुद्ध :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

के स्थान पर "अभियोग संख्या 308/2014 धारा 420, 467, 468, 471, 120बी आई. पी.सी. में लम्बित होना" पढ़ा जावे।

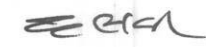

(मंजुला वनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क)(1)/(ए-120) अलेसे-I/353

दिनांक:- 07/06/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, कोटा।
3. कमाण्डेन्ट, छठी बटालियन, आरएसी, धौलपुर।
4. कोषाधिकारी, करौली।
5. कोषाधिकारी, दौसा।
6. श्री अंगदराम मीणा, निलम्बित सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-I मुख्यालय कोषालय, दौसा।
7. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदया।
8. उपनिदेशक(एसीपी), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में एन्ट्री करने हेतु।
9. पदस्थापन शीट/गार्ड फाईल।


(बलवीर सिंह गोठवाल)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)